

198
25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी
को आवान्न लगाई गई। बार-बार
आवान्न लगाने के बावजूद भी वकील
वादी व वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने
पर वादी का वाद अहम हाजरी अहम पैरवी
में खारिज किया जाता है पत्रावली फसल
शुमार होकर नम्बर कम होकर दाखिल दफतर
है।

उपखण्ड अधिकारी
दंतारामगढ़